संचालनालय कोष एंव लेखा
मध्यप्रदेश

क्र./डी.टी.ए./IFMIS / E-payment/ 2018/ 36 भोपाल, दिनांक 07/ 08 /2018

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी,
कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।

विषय:- ई-पेमेंट से भुगतान के संबंध में ।

संदर्भ:- संचालनालय कोष एवं लेखा का पत्र क्र./डी.टी.ए./ ई-पेमेंट /2012/768, दिनांक 31.08.2012 ।

------00--------

उपरोक्त पत्र के माध्यम से पूर्व में वर्णित देयकों को ई-भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया था। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए अब केवल निम्न प्रकार के देयकों को ई-भुगतान की अनिवार्यता से छूट जारी रहेगी।

1. न्यायालय के आदेशानुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान, जिससे राशि का भुगतान न्यायालय में जमा किया जाना है।
2. मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को एक्सग्रेसिया (अनुग्रह राशि/ स्थायी अग्रिम से संबंधित समस्त भुगतान।
3. स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा ई.पी.एफ. में किया जाने वाला अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान।
4. मुख्यमंत्री /मंत्री स्वेच्छानुदान के समस्त भुगतान ।
5. मुखबिरों को किए जाने वाले गोपनीय व्यय।

कोषालय अधिकारी उक्त छूट के तहत भौतिक चेक जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि ई-भुगतान करने की कोई संभावना नहीं है। प्रत्येक भौतिक चेक का अभिलेख रखेंगे एवं निरीक्षण टीम के आने पर प्रस्तुत करेंगे।

अपर संचालक

पृ. क्र./डी.टी.ए./IFMIS / E-payment / 2018/ E 37-39 भोपाल, दिनांक 07/08/2018

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष म.प्र. शासन ।
2. निज सहायक, आयुक्त कोष एवं लेखा।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर संचालक